गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(मध्यप्रदेश राज्य विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 21 सन् 1983 द्वारा स्थापित)

क्रमांक 1803 /स्था./प्रशा./2007 बिलासपुर, दिनांक 24-07-07

आदेश

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2007 की धारा 49 के प्रावधानानुसार गठित चयन समिति की अनुशंसा पर विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 21.07.2007 के विषय क्रमांक-03-ए के निर्णयानुसार डॉ0 सेराफिनस किस्पोट्टा की नियुक्ति निम्न शर्तों पर विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के अर्थशास्त्र विभाग के व्याख्याता (अजजा) के पद पर वेतनमान रुपये 8000-13500/- में दो वर्ष की परिवीक्षा पर (जो विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत बने परिनियम के अनुसार आगे बढ़ाई जा सकती है) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जाती है।

कार्यभार ग्रहण की अवधि के लिये वेतन/यात्रा भत्ता आदि नहीं दिया जावेगा। वेतनमान के साथ समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते देय होंगे।

यदि परिवीक्षावधि में कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया अथवा विश्वविद्यालय को इनकी सेवाओं की आवश्यकता न हो तो एक माह की पूर्व सूचना या एक माह का वेतन देकर सेवा से पृथक किया जा सकता है।

इनकी सेवायें, चालचलन संबंधी जांच उपयुक्त एवं अच्छा पाये जाने पर ही वैध होगी।

आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी। सेवा शर्तें विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत परिनियम 31 एवं अध्यादेश-4 के अंतर्गत संचालित होंगी।

विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय लिखित रूप से सूचित करना होगा कि उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य हैं। उपर्युक्त शर्तों में किसी प्रकार की कोई शिथिलता प्रदान नहीं की जावेगी। वेतन एवं अन्य शर्तें उपर्युक्तानुसार होंगी, अन्य कोई शर्त मान्य नहीं होगी। इस नियुक्ति में आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है।

नियुक्ति पर होने वाला व्यय स्थापना मद में विकलनीय होगा।

कार्यपरिषद के आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ0 क्रमांक 1804 /स्था./प्रशा./2007 बिलासपुर दिनांक 24-07-07

प्रतिलिपि :-

01. महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
02. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक को कुलपति जी/कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ।
03. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
04. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर।
05. आयुक्त, उच्च शिक्षा, महाविद्यालयीन शिक्षा एवं पेंशन प्रकोष्ठ, विज्ञान महाविद्यालय परिसर, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
06. विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
07. वित्ताधिकारी/सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
08. डॉ0 सेराफिनस किस्पोट्टा, बी-17, शिवम विहार, अमलीडीह, रायपुर (छ.ग.) 496001 को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करें। कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण, आयु, जाति, पात्रता तथा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ कार्यभार ग्रहण करते समय परीक्षण हेतु प्रस्तुत करें। कार्यभार ग्रहण तिथि से 07 दिवस के अन्दर सेवा अनुबंध भी आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन प्राधिकृत अधिकारी से कराये जाने पर यदि यह पाया जाता है कि प्रस्तुत प्रमाण पत्र असत्य अथवा गलत तथ्यों पर आधारित है, उक्त स्थिति में नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।
09. निजी नस्ती।

उप-कुलसचिव (प्रशा./स्था.)